

# राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(अधिनियम, 1955)

(क्र.सं. 5 सन् 1955)

यथा संशोधित जून, 1976/अगस्त 5, 2008



सचिव

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

जयपुर-302017

## राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, अधिनियम, 1955

(अधिनियम संख्या 5, सन् 1955)

(श्रीमान् राज्य प्रमुख की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 1955 ई. को प्राप्त हुई)

राजस्थान में खादी तथा ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित तथा संगठित करने के लिये एक बोर्ड के नियमन तथा स्थापना हेतु व्यवस्था करने के लिये अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नांकित अधिनियम भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में बनाया जाता है।

### अध्याय-1

#### प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ:-** (1) यह अधिनियम, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 कहलायेगा।

\* (1क) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य होगा।

(2) यह तुरन्त ही प्रभाव में आयेगा।

**2. व्याख्या :-** इस अधिनियम में, जब तक की प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 3 के अधीन संस्थापित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से है।

+ (कक) "कमीशन" से तात्पर्य खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज कमीशन एक्ट, 1956, (सेन्ट-ल एक्ट 61 सन् 1956) के अधीन स्थापित खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज कमीशन से है।

\* राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक एफ-4(39)एल.जे.एण्ड 56 दिनांक 23.11.1960 द्वारा निविष्ट राज्य पत्र भाग 4(क) दिनांक 24.11.1960 से।

+ राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक एफ-7(36)एल।64।दिनांक 13.11.1964 द्वारा निविष्ट राज्य पत्र भाग 4 (क) दिनांक 16.11.1964

“(क-क-क)” वाणिज्यिक बैंक से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(1) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (केन्द्रीय अधिनियम 10 सन् 1949) की धारा \*5(ग) में परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी;

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (केन्द्रीय अधिनियम 11 सन् 1934) द्वारा स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक तथा उक्त अधिनियम में परिभाषित कोई अनुसूचित बैंक;

(3) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (केन्द्रीय अधिनियम, 38 सन् 1959) में परिभाषित उसके समनुषंगी बैंकों को सम्मिलित करते हुए भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (केन्द्रीय अधिनियम, 23 सन् 1955) के अधीन गठित स्टेट बैंक;

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा आन्तरण) अधिनियम, 1970 (केन्द्रीय अधिनियम, 5 सन् 1970) में परिभाषित कोई तत्वभाए नया बैंक, तथा

(5) कोई ऐसी बैंककारी अथवा वित्तदायी संस्था जिसे राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा इसस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट करें।

(ख) “खादी” से तात्पर्य हाथ करपा से भारत में बने हुए ऐसे कपड़े से है जो हाथ से काटे हुये धागे से बुना गया हो;

(ग) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा निर्धारित से है;

+ (ग-ग) “राज्य” से तात्पर्य स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, 37, सन् 1956 की धारा 10 द्वारा निर्मित राजस्थान राज्य से है, और;

(घ) “ग्रामोद्योग” के अन्तर्गत, ऐसे उद्योग, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड समय-समय पर सिफारिश कर तथा अन्य उद्योग, जो बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग माने जाये, शामिल हैं।

\* राज्य पत्र विनोधांक—भाग 4 (घ) दिनांक 12.12.74 अन्तः स्थापित प.4 (28) विधि 74 दिनांक 6.12.74 से।

+ राज्य पत्र विनोधांक भाग 4 (क) दिनांक 24.11.60 से अन्तः स्थापित प.4 (39) ए.जे.ए./59 दिनांक 23.11.60 निविष्ट

— राज्य पत्र विनोधांक भाग (4) दिनांक 24.11.60 से निविष्ट

अध्याय-2

## राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना तथा निर्माण

3. स्थापना तथा निगमन:- (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथा समय शीघ्र, राज्य सरकार, (—) सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड स्थापित करेगी जो राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कहलायेगा।

(2) बोर्ड पूर्वोक्त नाम का एक ऐसनिगम, निकाय होगा जिसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा और जिसकी सामान्य मुहर होगी और जिसे, स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करना, धारित करना, हस्तान्तरण करना, संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी कार्य करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से अपने द्वारा दावा कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध दावा किया जा सकेगा।

**4. निर्माण:-** बोर्ड में निम्नांकित व्यक्ति होंगे :- \* (क) एक अध्यक्ष जो गैर सरकारी व्यक्ति होगा और राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा, तथा

(ख) 12 अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और जिनमें कम से कम 8 गैर सरकारी सदस्य होंगे।

**5. उपाध्यक्ष:-** (1) बोर्ड का उपाध्यक्ष बोर्ड के गैर सरकार सदस्यों द्वारा उनमें से ही निर्धारित रीति से नियोजित किया जायेगा।

(2) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपाध्यक्ष तभी तक पद धारण करेगा जब तक कि वह बोर्ड का सदस्य रहे।

(3) उपाध्यक्ष अपने पद का त्याग बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा कर सकेगा, या वह गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत से पारित किसी ऐसे प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकेगा जिसकी सूचना समस्त गैर सरकारी सदस्यों को ऐसी अवधि के पहिले, जो पूरे चौदह दिन से कम दिन की न हो, दी जायेगी।

**6. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य:-** (1) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदान किये जाय।

(2) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाय या उसे सौंपा जाय।

**7. सदस्यों के पद की अवधि:-** बोर्ड के पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के पद की अवधि होगी ऐसी जो निर्धारित की जाय।

**8. कार्यकारिणी तथा अन्य समितियाँ:-** (1) बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो वह विनियमों द्वारा निश्चित करे या जो निर्धारित किये जाय, ऐसी एक कार्यकारिणी समिति का निर्माण कर सकेगा जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति को सम्मिलित करते हुए पाँच से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

\* (2) बोर्ड का अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) बोर्ड, ऐसे प्रतिबन्धों, जो निर्धारित किये जाय, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, उसकी किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या उसका कोई कर्तव्य करने तथा मंत्रणा देने के जो बोर्ड उनको भेजे, अन्य स्थायी समितियों का निर्माण कर सकेगा।

(4) स्थायी समिति में केवल बोर्ड के सदस्य होंगे।

(5) एतदर्थ समिति में, ऐसे व्यक्ति, जो बोर्ड के सदस्य न हों, किन्तु उनकी संख्या कुल संख्या के आधे से अधिक न हो, शामिल हो सकेंगे।

**+8. (क) वित्तीय सलाहकार:-** राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो सदस्य न हो, बोर्ड का वित्तीय सलाहकार नियुक्त करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे कि निर्धारित किये जाय।

\* राज्य पत्र विशेषांक 4.10.68 के द्वारा व पत्र क्रमांक एफ 7(18) एल/68/दिनांक 4.10.68 प्रतिस्थापित।

+ राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.एफ 10(18) विधि/एल/70/दिनांक 14.8.70 द्वारा प्रतिस्थापित।

— राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक एफ 7(36)एल/64/दिनांक 13.10.64 द्वारा प्रतिस्थापित।

9. सचिव:- (1) राज्य सरकार बोर्ड का सचिव नियुक्त करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो निर्धारित किये जाय या जो उसे बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाय।

(2) सचिव बोर्ड का समग्र कालीन या खण्ड कालीन, जैसा कि राज्य सरकार आदेश दे, पदाधिकारी होगा।

10. अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों के भत्ते:- (1) बोर्ड के अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की निधि में से ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जैसे विहित किये जाय।

11. पद त्याग:- बोर्ड के पदेन सदस्य के अलावा कोई सदस्य किसी भी समय अपने पद का त्याग, इसकी सूचना राज्य सरकार को लिखित रूप में देकर, कर सकेगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसा इस्तीफा स्वीकृत होने पर, वह रिक्त किया हुआ माना जावेगा।

12. बोर्ड में नियुक्त होने के सम्बन्ध में अयोग्यता:- (1) कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नियुक्त होने या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य ठहराया जावेगा यदि :-

(क) वह बोर्ड के अधीन लाभ का पद या स्थान ग्रहण करे;

(ख) वह पागल हो जाय या उसका चित्त विकृत हो जाय;

(ग) वह दिवालिया निर्णीत किया जाय या किसी समय निर्णीत किया गया हो या उसने अपना ऋण चुकाना बन्द कर दिया हो या अपने ऋणदाताओं से समझौता कर लिया हो;

(घ) वह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपना, अपनी पत्नी या पुत्र का या अपने किसी साझेदार का, बोर्ड के साथ, उसके मारफत या उसकी ओर से किसी चालू ठेका या नौकरी में अंश या हित रखता हो;

(ङ) वह किसी ऐसी निगमित कम्पनी या किसी सहकारी संस्था का जिसका बोर्ड के साथ, उसके मारफत या उसकी ओर से किसी ठेका या नौकरी में अंश या हित है; संचालक या सचिव या प्रबन्धक या अवैतनिक पदाधिकारी हो।

2(क) फिर भी, कोई व्यक्ति, केवल उसके ऐसे सदस्य होने के कारण जिसे धारा 10 के उपबन्ध के अनुसार, भत्ता मिलता हो, उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा;

(ख) कोई व्यक्ति, केवल उसके या ऐसी निगमित कम्पनी या सरकारी संस्था के, जिसका वह संचालक, सचिव, प्रबन्धक, या अन्य वैतनिक पदाधिकारी हो, किसी ऐसे समाचार पत्र में, जिसमें बोर्ड के कार्यों सम्बन्धी कोई विज्ञापन निविष्ट हो, अंश या हित होने के कारण, उप-धारा (1) के खण्ड (घ) या (ङ) के अधीन अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा और इन खण्डों के माने में किसी ठेके या नौकरी में कोई अंश या हित रखने वाला नहीं समझा जायेगा।

(ग) कोई व्यक्ति, केवल उसके ऐसी कम्पनी या संस्था का, जिसका उपधारा (1) के खण्ड (घ) या (ङ) दोनों में से किसी एक में निविष्ट कोई अंश या हित हो, अंशधारी होने के कारण से ही, उपधारा (1) के खण्ड (घ) या (ङ) के अधीन अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा या बोर्ड के साथ, बोर्ड के मारफत, या बोर्ड की ओर से किसी ठेका या नौकरी में कोई अंश या हित रखने वाला नहीं समझा जायेगा।

परन्तु शर्त यह है कि ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार को उसके द्वारा समय-समय पर धारण किये गये अंश की किस्म या मात्रा प्रकट करता रहेगा।

**13. सदस्यों का हटाना:-** (1) राज्य सरकार, पदेन सदस्य के अलावा, किसी सदस्य को बोर्ड से हटा सकेगी यदि उसकी राय में:-

- (क) वह कार्य करने से इन्कार करता हो; या
- (ख) वह कार्य करने में अयोग्य हो गया हो; या
- (ग) उसने सदस्य के पद का इतना दुरुपयोग किया हो कि उसका बोर्ड का सदस्य रहना जनहित के लिए प्रतिकूल हो;

या

(घ) वह बोर्ड की सब बैठकों में लगतार चार महीनों तक या ऐसी अवधि के लिये जिसमें अनुक्रमशः तीन बैठकें होती हो, जो भी अवधि लम्बी हो, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहा हो; या

(ङ) उसने राजस्थान में निवास करना बन्द कर दिया हो; या

(च) वह अन्यथा सदस्य हटने के लिए अनुपयुक्त हो।

(2) राज्य सरकार किसी सदस्य को, उसके प्रस्तावित हटाये जाने के सम्बन्ध में चल रही जाँच के दौरान में मुअत्तिल कर सकेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन हटाने की कोई आज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को, उसके प्रस्तावित हटाये जाने के कारणों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अवसर न दे दिया गया हो।

(4) ऐसा सदस्य, जो उप-धारा (1) के अधीन हटा दिया गया है, बोर्ड का सदस्य नियुक्त किये जाने के योग्य नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार किसी ऐसे कारोबार को, जिसके सम्बन्ध में कोई सदस्य उप-धारा (1) के अधीन हटा दिया गया हो, शून्य घोषित कर सकेगी।

**14. रिक्तियों को भरना:-** जब पदेन सदस्य के अलावा कोई सदस्य मर जाय, या धारा 11 के अधीन पद त्याग करे या धारा 13 के अधीन पद त्याग करे या धारा 13 के अधीन हटा दिया जाय, या जब कोई सदस्य धारा 12 में उल्लिखित अयोग्यता को प्राप्त हो जाय तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा, तथा इस प्रकार होने वाली कोई रिक्ति राज्य सरकार द्वारा, यथा सम्भव शीघ्र भर दी जायेगी;

परन्तु ऐसी रिक्ति के दौरान में, कायम रहने वाले सदस्य इस प्रकार कार्य करेंगे जैसे कोई रिक्ति हुई ही न हो।

**15. रिक्ति या दोष कार्यवाहियों को अवैध नहीं करेगा:-** इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के किसी कार्य या कार्यवाही के सम्बन्ध में, केवल बोर्ड में किसी रिक्ति के कारण, बोर्ड के किसी सदस्य की नियुक्ति में या बोर्ड के निर्माण में

किसी दोष के कारण, प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड, किसी भी ऐसे समय में, जब रिक्ति होने के कारण काम चलाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बोर्ड में ऐसे गैर-सरकारी सदस्यों की कुल संख्या के आधे से कम हो, कोई कार्य या कार्यवाही नहीं करेगा।

**16. बोर्ड की बैठकें:-** बोर्ड समय-समय पर, अपनी बैठकों की तारीख, समय, स्थान की सूचना, उनके प्रबन्ध तथा स्थान के बारे में, निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन, ऐसी व्यवस्था करेगा, जो उसके द्वारा निर्मित आनियमों द्वारा निश्चित की जाय, अर्थात्:-

(क) साधारण बैठकें कम से कम प्रत्येक तीन महीनों में एक बार होगी;

(ख) अध्यक्ष, जब कभी भी वह उचित समझे, विशेष बैठकें बुला सकेगा;

(ग) बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियाँ राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग को प्रेषित की जावेगी।

**17. बोर्ड का विघटन:-** (1) राज्य सरकार "राज्य विधान सभा की पूर्व अनुमति से किसी भी समय सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषणा कर सकेगी, कि बोर्ड ऐसी तारीख से, जो उस विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, विघटित हो जायेगा।

**2. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 का अस्थायी संशोधन:-** इस अध्यादेश के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 5) ऐसे प्रभावी होगा मानो कि धारा 17 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की गई थी, अर्थात्:-

(राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 मई 1976 को बनाया तथा प्रस्थापित किया गया)

“(2) उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विघटित किये जाने के परिणाम स्वरूप उक्त बोर्ड के समाप्त हो जाने पर—

(क) बोर्ड को कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समस्त समितियाँ कार्य करना बन्द कर देगी;

(ख) बोर्ड और कार्यकारिणी समिति के तथा उसकी अन्य समितियों के समस्त सदस्य उक्त सदस्यों के रूप में पद रिक्त कर देंगे;

(ग) वे समस्त सम्पत्तियाँ तथा निधियाँ, जो उक्त तारीख से ठीक पूर्व इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड में निहित थीं या उसके कब्जे में थीं, राज्य सरकार में निहित हो जायेगी;

(घ) बोर्ड के समस्त विधिक अधिकार, बाध्यतायें तथा देयतायें (जिनमें किसी अनुबन्ध के अधीन की देयतायें सम्मिलित हैं) राज्य सरकार के अधिगत बाध्यतायें तथा देयतायें हो जायेगी; और

(ङ) बोर्ड के समस्त विधिक कार्य तथा कार्यवाहियाँ जब तक राज्य सरकार द्वारा अपास्त, उपान्तरित या किसी भी रीति से संगोष्ठित न किये जायें, वैसे ही प्रभावशील बनी रहेंगी मानें बोर्ड विघटित नहीं किया गया हो।”

## बोर्ड के कार्य तथा शक्तियाँ

**18. बोर्ड के कार्य:-** बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा:-

- (1) खादी तथा ग्रामोद्योगों को प्रारम्भ करना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको सहायता देना, तथा उनको संचालन करना;
- (2) लोगों को, उनको परों पर कार्य दिला कर उनकी सहायता करना तथा उन्हें आर्थिक सुविधा जुटाना;
- (3) खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए सहकारी समितियों का संगठन करना;
- (4) प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना और लोगों को केन्द्रों पर या \*राज्य के बाहर अन्य केन्द्रों पर खादी तथा ग्रामोद्योगों में प्रशिक्षित करना;
- (5) खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए कच्चे माल, औजार और उपकरणों के मिल सकने की तथा तैयार की गई वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करना;
- (6) गोदाम कायम करके, दुकाने खोलकर, प्रदर्शनियाँ आयोजित करके, तथा ऐसे ही अन्य साधनों से ग्रामोद्योगों में तैयार की गई खादी व वस्तुओं का प्रचार करने तथा उनको लोकप्रिय बनाने का प्रबन्ध करना;
- (7) जनमत तैयार करने और जनता में खादी तथा ग्रामोद्योगों के प्रति तथा ऐसे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करने के लिए रुची एवं हुकाव की प्रवृत्ति पैदा करने का प्रयत्न करना;
- (8) विशेषज्ञों को आमंत्रित करके ऊपर उल्लिखित विषयों में प्रयत्नपूर्वक उनसे सलाह व पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना;
- (9) खादी व ग्रामोद्योगों में अन्वेषण करना तथा उसे अन्वेषण कार्य के लिए प्रोत्साहन देना;
- (10) ऐसे कार्य करते रहना, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुषंगिक व हित-साधक हों; और
- (11) ऐसे अन्य कार्य जो निर्धारित किये जायें।

\* राज्य अध्या क्र.एफ-4 (39) एल.जे./ए/59/ दिनांक 23.11.60 द्वारा प्रतिस्थापित

## बोर्ड का कार्यालय, उसके पदाधिकारी और उसका कर्मचारी वर्ग

19. कार्यालय:- इस अधिनियम के प्रभावशील होने की तारीख से, बोर्ड का कार्यालय राज्य सरकार के मुख्यालय पर होगा, जिसके पते पर सभी पत्र तथा सूचनाएँ भेजी जायेंगी।

20. पदाधिकारी व कर्मचारी वर्ग:- बोर्ड, अपने कार्यों के दक्षता पूर्ण निष्पादन के लिए ऐसे पदाधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

21. बोर्ड के सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन व उसकी सेवा के बारे में शर्तें:-

(1) बोर्ड के सेक्रेटरी तथा बोर्ड के \*वित्तीय सलाहकार का वेतन व उसकी सेवा के बारे में अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय।

(2) बोर्ड के अन्य पदाधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन तथा उनकी सेवा के बारे में अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसी बोर्ड आनियमों द्वारा निश्चित करें।

22. पदाधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य और कर्तव्य:- बोर्ड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो बोर्ड द्वारा आनियमों के जरिये निश्चित किये जाय।

## सम्पत्ति, अर्थ-व्यवस्था, अनुबन्ध, लेखा परीक्षा तथा विवरण पत्र

23. सरकार द्वारा बोर्ड की सम्पत्ति का हस्तान्तरण:- राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड द्वारा उपयोग में लाने तथा उनके द्वारा प्रबन्ध किये जाने के लिए कोई इमारत भूमि अथवा स्थावर या जंगम कोई अन्य सम्पत्ति, ऐसी शर्तों व मर्यादाओं पर, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, बोर्ड को हस्तान्तर कर सकेगी।

24. बोर्ड के संस्थापन के पूर्व किये गए व्यय और अनुबन्ध:- बोर्ड की संस्थापन की तारीख से पूर्व और बोर्ड के संस्थापित होने की तारीख तक, इस अधिनियम के संबंध में या इसके प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार के साथ, अथवा राज्य सरकार की ओर से, किये गए सभी ऋण एवं व्यय, सम्पादित किये गए, सभी अनुबंध तथा जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले व बातें बोर्ड द्वारा, या बोर्ड के साथ, अथवा, बोर्ड की ओर से, किये गये, सम्पादित किये गये तथा लिये जाने के लिए वचन-बद्ध समझे जायेंगे और इस अधिनियम के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार के विरुद्ध, दायर किये सभी दावे, तथा वैधिक-कार्यवाहियाँ बोर्ड द्वारा या बोर्ड के विरुद्ध, जैसी भी स्थिति हो दायर की जावेगी अथवा जारी रखी जावेगी।

25. बोर्ड द्वारा अनुबंध:- ऐसे सभी अनुबंधों पर, जिसमें बोर्ड पक्षकार है, बोर्ड की ओर से बोर्ड के सचिव द्वारा, हस्ताक्षर किये जायेंगे।

26. बोर्ड की निधि:- (1) बोर्ड की खुद की एक निधि होगी और बोर्ड की सभी प्रशियां उसमें जमा की जायेंगी, तथा बोर्ड द्वारा किये जाने वाले सभी भुगतान उसमें किये जायेंगे।

\*(2) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए बोर्ड:- (क) राज्य सरकार या कमीशन या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी व्यक्तिगत निकाय, जो चाहे विगमित हो अथवा नहीं, या किसी व्यक्ति से अनुदान, आर्थिक सहायता, दान और भेंट स्वीकार कर सकेगा;

(ख) राज्य सरकार अथवा कमीशन अथवा किसी वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेगा।

(3) बोर्ड की निधि के सभी धन, ऐसे तरीके से जमा कराये जायेंगे जो निर्धारित किया जाय।

(4) बैंक में बोर्ड का लेखा, बोर्ड के ऐसे पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग संभालित किया जायेगा, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

27. निधि व सम्पत्ति का उपयोग:- बोर्ड ऐसी समस्त सम्पत्ति, निधि तथा अन्य सम्पत्ति को उसके पास है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन तथा उसके प्रयोजनों के लिए, धारण करेगा तथा उपयोग में लायेगी।

—(का) ऋण देने तथा अनुदान और आर्थिक सहायता मंजूर करने की शक्ति:- बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से पालन करने के प्रयोजनार्थ छादी तथा सम्पत्तियों के उपभोग और विकास में रहते हुए, ऐसे व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, राज्य सरकार या आयोग से प्राप्त निधियों में से तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो राज्य सरकार या आयोग, यथा स्थिति, द्वारा विहित या निर्दिष्ट की जाय, ऋण दे सकेगा तथा अनुदान और आर्थिक सहायता वितरित कर सकेगा।

28. वार्षिक कार्यक्रम और कर्मचारी वर्ग की अनुसूची:- (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष ऐसी तारीख को, जो निर्धारित की जाय—

(क) अगले वर्ष के कार्य का कार्यक्रम; और

(ख) पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के अमल की एक अनुसूची, जिसमें वह अमल जो निवृत्त कर लिया गया हो, तथा जो अगले वर्ष नियुक्त करना हो, बतलाया जाय; राज्य सरकार को, ऐसे प्रपत्र में भेजेगा, जो निर्धारित किया जाय।

\* राज्य आदेश क्र.एफ-7 (36)एल/64 दिनांक 13.11.64 द्वारा प्रतिस्थापित

+ राज्य आदेश क्र. 11.4(26) विधि/74 दिनांक 12.12.74 अन्तःस्थापित

— राज्य आदेश क्र. 7 (1) एल/68 दिनांक 18.3.68 प्रतिस्थापित

(2) कार्यक्रम में:- (क) उन योजनाओं का विवरण, जिन्हें बोर्ड अगले वर्ष में पूर्ण-रूप से या आंशिक रूप से, कार्यान्वित करने का विचार रखता है;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड अपने कार्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ जिस कार्य अथवा उस कार्य का आयोजन, करने का विचार रखता है, और

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किये जाय, दर्ज किये जायेंगे।

(3) राज्य सरकार, को भेजे गये कार्यक्रम तथा पदाधिकारियों व कर्मचारियों के अमले की अनुसूची को, राज्य सरकार ऐसे परिवर्तनों सहित, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, अनुमोदित तथा मंजूर कर सकेगी, और इस प्रकार किये गये परिवर्तनों को मानने के लिए बोर्ड बाध्य होगा।

29. बजट:- बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये गये कार्यक्रम तथा कर्मचारियों के अमले की अनुसूची के अनुसार पूंजी लेखों तथा राजस्व लेखों की अनुमानित प्राप्ति तथा व्यय दिखलाते हुए, निर्धारित प्रपत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट, ऐसी तारीख को तैयार करके, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जो निर्धारित की जाय।

30. बजट की मंजूरी:- (1) राज्य सरकार, उसे प्रस्तुत किये बजट को ऐसे परिवर्तनों के साथ, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, मंजूर कर सकेगी।

(2) बोर्ड, इस शर्त के अधीन रहते हुए, किसी भी योजनाओं का व्यय राज्य सरकार द्वारा मूलतः स्वीकार की गई धनराशि से, 33 1/3 प्रतिशत अधिक न हो जाय, एक योजना से दूसरी योजना में अथवा उप शीर्षकों और गौण शीर्षकों के बीच, राज्य सरकार की अनुमति के बिना, ऐसी धनराशियों का पुनः नियोजन करने के लिए, जो भी आवश्यक हो, सक्षम होगा।

31. अनुपूरक कार्यक्रम और बजट:- बोर्ड निर्धारित प्रपत्र में अनुपूरक कार्यक्रम और अनुपूरक बजट राज्य सरकार की मंजूरी के लिए प्रेषित कर सकेगा और ऐसा अनुपूरक कार्यक्रम तथा अनुपूरक बजट पर क्रमशः धारा 28 की उपधारा (2) के तथा धारा 29 और 30 के प्रावधान लागू होंगे।

32. वार्षिक रिपोर्ट:- बोर्ड, वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर आगामी तीन महीनों के भीतर, उक्त, विगत वित्तीय वर्ष की गतिविधियों का पूरा विवरण देते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसे तरीके से तैयार करके राज्य सरकार को प्रेषित करेगा, जो निर्धारित किया जाय।

33. आगे की रिपोर्ट, आंकड़ और विवरण-पत्र:- बोर्ड ऐसी तारीख के पहिले, और ऐसे समयान्तरों पर और ऐसी रीति से, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश करे, राज्य सरकार को ऐसे विषयों पर रिपोर्ट और आंकड़े तथा विवरण पर प्रेषित करेगा, जैसी राज्य सरकार अपेक्षा करे।

34. हिसाब-किताब और ऑडिट:- (1) बोर्ड के हिसाब-किताब का साधारण और ऐसे हिसाब-किताब के वार्षिक विवरण की तैयारी ऐसी गति से की जावेगी, जो निर्धारित की जाय।

(2) बोर्ड के हिसाब किताब का ऑडिट चार्टर्डेड अकाउन्टेन्ट द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे।

(3) ज्योंही बोर्ड के हिसाब किताब का ऑडिट समाप्त होवे, बोर्ड, उस हिसाब किताब की एक प्रतिलिपि, तत्संबंधि ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सहित, राज्य सरकार को भेजेगा।

(का) राज्य सरकार उक्त विवरण तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, उन्हें राज्य विधान सभा के सदन पटल पर रखवायेगी और उक्त विवरण तथा रिपोर्ट पर वहाँ चर्चा हो सकेगी लेकिन उन पर मतदान नहीं होगा।

(4) बोर्ड के परीक्षित (ऑडिट किये हुए) हिसाब-किताब ऐसी रीति से राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे, जो निर्धारित किये जाय।

(5) बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करेगा, जिन्हें राज्य सरकार, ऑडिट की रिपोर्ट के पश्चात्, जारी करना उचित समझे।

(का) बोर्ड को प्राप्य राशियों को वसूली:- किसी भी कारण से बोर्ड को प्राप्य समस्त धन-राशियाँ, विधि द्वारा प्रवाहित किसी अन्य प्रयुपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डोले बिना, भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली योग्य होगी।

(ख) अशोध्य हानियों के अभिलेखन की शक्ति:- बोर्ड ऐसी अप्रत्यादेय देय हानियाँ, जो प्रत्येक मामले में पाँच सौ रुपये तक हो एवं पाँच हजार रुपयों की वार्षिक सीमा के अधीन रहते हुए और ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जो निर्धारित किये जाँच, अपलिखित कर सकेगा; उपरोक्त रकमों से अधिक की हानियों के मामले राज्य सरकार को आदेश हेतु प्रेषित किये जावेंगे।

## अध्याय-6

### विविध

35. राज्य सरकार द्वारा निर्देश:- (1) बोर्ड अपने कार्यों के निष्पादन में, नीति संबंधी प्रश्न पर ऐसी हिदायतों का अनुसरण करेगा, जो उसे राज्य सरकार द्वारा दी जाया।

(2) यदि राज्य सरकार या बोर्ड के बीच इस मुद्दे पर आया अमुक प्रश्न नीति सम्बन्धी प्रश्न है या नहीं, कोई विवाद उत्पन्न हो जाय तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

36. सदस्यों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना:- बोर्ड के सभी सदस्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हो अथवा उक्त बोर्ड द्वारा, जब इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुशरण में कोई कार्य करते हों अथवा उनके अनुशरण में कोई कार्य करने का भाव रखते हों, इन्डियन पीनलकोड, 1860, (संख्या 45, सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक-सेवक समझे जावेंगे।

37. नियम:- राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियम, विशेष रूप से तथा पूर्ववर्ती प्रावधान की सामान्यता के प्रति प्रतिकूल भाव रखे बिना किसी भी ऐसे विषय के बारे में व्यवस्था कर सकेंगे, जो निर्धारित किया जाना है अथवा जो निर्धारित किया जा सके।

38. आनियम बनाने की शक्ति:- बोर्ड इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमों की संगति में:-

(क) अपनी निच की कार्य-प्रणाली का तथा अपनी समितियों, जिनमें प्रबन्धकारिणी समिति सम्मिलित है, की कार्य प्रणाली का नियमन करते हुए;

(ख) बोर्ड के सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारियों की शक्तियों का विवेचन करते हुए; और

(ग) किसी ऐसे विषय के बारे में व्यवस्था करते हुए, जिस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम बनाये जाने है या बनाने जा सके;

राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आनियम बना सकेगा।

39. निरसन:- (1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यादेश, 1955 (राजस्थान अध्यादेश संख्या-3, सन् 1955) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसा निरसन होते हुए भी उक्त अध्यादेश के किसी प्रावधान के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व प्रभावशील हो, जहाँ तक वह इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता हो या की जा सकती हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी प्रावधान के अधीन क्रमशः किया गया की गई इस प्रकार माना या मानी जायेगी मानो यह अधिनियम ऐसी तारीख को, जब ऐसा कार्य किया गया था या कार्यवाही की गई थी, प्रभावशील था, और उस समय तक इस प्रकार किया गया माना जायेगा या की गई मानी जायेगी जब तक की उसका इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूप भेद या अवक्रमण न कर दिया जाय।

ह. ....

शासन सचिव

\* राज्य आज्ञा क्र. एक 6 (36) एल/64/दिनांक 13.11.64 द्वारा निविष्ट

\* राज आज्ञा एक 4 (39) ए.जे. ए/69/दिनांक 23.11.60 द्वारा प्रतिस्थापित

## विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(पृष्ठ-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 5, 2008

संख्या प.2(31)विधि/2/2008:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के पालन के अनुसरण में "ही राजस्थान खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (अमेन्डमेंट) एक्ट, 2008 (एक्ट नं. 13 ऑफ 2008)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

### राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 23)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त, 2008 को प्राप्त हुई)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह तत्पक्ष प्रवृत्त होगा।

2. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 9 का संशोधन:- राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 5) की धारा 9 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

“(3) इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अन्तर्बिष्ट किसी बात के होने पर भी, जहाँ बोर्ड अस्तित्व में न हो या कित्तियों के कारण धारा 15 के अधीन कार्यवाही या कार्यवाही करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो जहाँ राज्य सरकार, राज-पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा बोर्ड की समस्त शक्तियों या उनमें से किसी का प्रयोग करने या समस्त कृत्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए सचिव/अध्यक्ष को प्राधिकृत कर सकेगी।”

एस. के. कोठारी

प्रमुख शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

## LAW DEPARTMENT

### NOTIFICATION

**Jaipur, 9th April, 1955**

No. F. 12 (11) L/55:- In Pursuance of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, his highness the Rajpramukh is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English Language of the Rajasthan Khadi tatha Gramodyog Board Adhiniyam, 1955 (Adhiniyam Sankhya 5, San 1955):-

### (ENGLISH TRANSLATION)

#### **The Rajasthan Khadi and Village Industries Board Act, 1955**

(Act. No. 5 of 1955)

(Received the assent of his Highness the Raj-pramukh on the 9th day of April, 1955.)

An

Act

to provide for the incorporation and establishment of a Board for encouraging and organising Khadi and Village Industries in Rajasthan.

BE it enacted by the State Legislature of Rajasthan in the sixth year of the Republic of the India as follows :—

### CHAPTER I

#### **Preliminary**

1. Short title, extend and commencement:—(1) This may be called the Rajasthan Khadi and Village Industries Board Act, 1955.

\*(1.A) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(2) It shall come into force at once.

2. Interpretation :- (1) In this Act unless the context otherwise requires:-

\* Inserted by Govt. notification No. F4(39) LJA/59/dt. 23.11.60

(a) "Board" Means the Rajasthan Khadi and Village Industries Board constituted under sections.3;

+(a-a) "Commission" means the Khadi and Village Industries Commission established under the khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (Central Act. 61 of 1956.)

(b) "Khadi" means any handloom cloth woven from yarn hand spun in India;

(c) "Prescribed" means Prescribed by rules made under this Act;

@(c-c) "State" means the State of Rajasthan as formed by section 10 of the States Re-organization Act, 1956 (Central Act 37 of 1956) and:

(d) "Village Industries" includes such industries as maybe recommended from time to time by the Khadi and Village Industries Board appointed by the Central Government and such other industries as may be determined by the Board to be village Industries.

X(a-a-a) 'Commercial bank means:- (1) A banking company as defined in section 5 (c) of the,Bankiag:Regulation Act, 1:949 (Central Act 10 of 1949)

(2) Reserve Bank of India as established by the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act 11 of 1934) and a scheduled bank as defined in the said Act;

(3) State Bank as constituted under the State Bank of India Act, 1955 (Central Act, 23 of 1955), including its subsidiary banks as defined in the State Bank of India Subsidiary Banks) Act, 1959 (Central Act, 38 of 1959);

(4) A corresponding new bank as defined in the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 (Central Act 5 of 1970); and

(5) Such other banking or financing institution as the State Government may, by notification in the official Gazette, specify as a commercial bank for the purposes of this Act.

## CHAPTER II

### Establishment and Constitution of Rajasthan Khadi end Village Industries Board

3. Establishment and incorporation:- (1) As soon as may be after the coming into force of this Act, the State Government shall, by a notification in the Rajasthan Gazutte, establish for the purposes of this Act a Board to-be called the Rajasthan Khadi and village Industries Board.

+ Inserted by Govt. notification No. F.7 (36) L/64dt.13.11.-64

@ Inserted by Govt. notification No. F.4 (39) LJ/A/59 dt. 23,11.60

X Inserted by Govt. notification No.4 (28) Vtdhi/74 dt. 12.12.74

(2) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, to do all things necessary for the purposes of this Act and shall by the said name sue and be sued through its Secretary.

**\*4. Composition:-** The Board shall consist of the following:-

(a) A Chairman, who shall be a non-official to be nominated by the State Government; and

(b) Twelve other members, to be appointed by State Government of whom at least eight shall be non-official members.

**5. Vice-Chairman:-** (1) The vice-chairman of the Board shall be elected by the non-official members the Board from amongst themselves in the prescribed manner.

(2) Subject to the provisions of sub-section (3) the vice-chairman shall hold office so long as he is a member of the Board.

(3) The vice-chairman may resign his office by a letter addressed to the chairman of the Board, or may be removed by a resolution passed by a majority of the non-official members of the Board, of which not less than fourteen clear days, notice shall be given to all non-official members.

**6. Functions of the chairman and vice-chairman :-** (1) The chairman shall exercise such powers and discharge such duties as may be conferred on him by or under this Act.

(2) The vice-chairman shall exercise such of the powers and discharge such of the duties of the chairman as may be prescribed or as may be delegated to him by the Board.

**7. Term of office of members:-** The term of office of members, other than ex-official members, of the Board shall be such as may be prescribed.

**8. Executive and other committees:-** (1) The Board may constitute an executive Committee consisting of not more than five members, including the Chairman and the Vice-Chairman of the Board, to exercise such Powers and discharge such duties as the Board may determine by regulations or as may be prescribed.

**\*(2)** The chairman of the Board shall be ex-official chairman of the executive Committee.

(3) Subject to such restrictions, if any -as may be prescribed, the Board may constitute other standing committees or ad-hoc committees for exercising any power of discharging any duty of the Board or for enquiring into or reporting and advising on any matter which the Board may refer to them.

(4) A standing committee shall consist exclusively of member of the Board.

(5) An ad-hod Committee may include persons who are not members of the Board, but their number shall not exceed one-half of its strength.

**@8.(A) Financial Adviser:-** The State Government shall be appointed a person not being a member to be a Financial Adviser to the Board who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

**9. Secretary:-** (1) The State Government shall appoint a Secretary to the Board who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed or as may be delegated to him by the Board or the Chairman.

(2) The secretary shall be an officer of the Board, whole time or part time as the State Government may direct.

**10. Allowances to Chairman and non-official members:-** The Chairman and non-official members of the Board shall be paid, from the fund of the Board, such allowances as may be prescribed.

**11. Resignation:-** Any members other than ex-official member of the Board may, at any time resign his office by giving notice there of in writing to the State Government and, on such resignation being accepted by the State Government and, on such resignation being accepted by the State Government shall be deemed to have vacated his office.

**12. Disqualification for appointment on the Board:-** (1) A Person shall be disqualified for being appointed or for continuing as a member of the Board if he-

(a) hold any office or place of profit under the Board-

(b) is found to be a lunatic or becomes of unsound mind.

(c) is, or at any time has been, adjudicated insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors.

(d) has directly or indirectly by him self, by his wife or son, or by any partner, any share or interest in any subsisting contract or employment with, by or on behalf of the Board, or.

\* Inserted and substituted by Govt. notification No. F.7 (29) Vidhi 70 dt. 27-11-70

@ Inserted by Govt. notification No. F.7 (36) L/64 dt. 13-11-64

(e) is a Director or a Secretary or a Manager or other salaried officer of any incorporated Company or any co-operative society which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board.

(2) (a) A person shall not, however, be disqualified under, clause (a) of sub-section (1) by reason only of his being a member receiving allowances as provided In section 10;

(b) a person shall not be disqualified under clause (d) or (e) of sub-section (1) or be deemed = to have any share or interest in any contract or employment within the meaning of those clause by reason; only of his, or of the incorporated company or of a Cooperative Society of which he is a Director, Secretary, Manager or other salaried officer having, a share or interest in any newspaper in which any advertisement relating to any affairs of the Board is inserted.

(c) a person not also be disqualified under clause (d) Or (e) of sub-section (1) or be deemed to have any share of interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board by his being a share holder of a Company or Society having any such share or interest as is referred to in either of those two clauses; provided that person discloses to the State Government the nature and extent, of the share; held by him from time to time.

**13. Removal of members:-** The State Government may remove from the Board other than an ex-official member, who in its opinion:-

(a) refuses to act; or

(b) has become incapable of acting; or

(c) has so abused his position as a member as to render his continuance on the Board detrimental to the interests of the public; or

(d) is absent without permission from all the meetings of the Board for four successive months or for the period in which three successive meetings are held, whichever period is longer; or

(e) Ceases to reside in Rajasthan; or

(f) is otherwise unsuitable to continue as a member

(2) The State Government may suspend any member pending an inquiry against him in connection with his proposed removal.

(3) No. order of removal under sub-section (1) shall be made unless the member concerned has been given an opportunity to submit his explanation to the State Government with reference to the grounds of his proposed removal.

(4) A member who has been removed under sub-section (1) shall not be eligible for appointment as a member of the Board.

(5) The State Government may declare void any transaction in connection with which a member has been removed under sub-section (1)

**14. Filling in Vacancies:-** When a member other than an ex-officio member dies, or resigns under section 11 or is removed under section 13, or when any member is subject to any of the disqualification specified in section 12 he shall cease to be a member of the Board, and any vacancy so occurring shall be filled in by the State Government as early as practicable,

provided that during any such vacancy the continuing members may act as if no vacancy had occurred.

**15. Vacancy or defect not to invalidate proceedings:-** No. act or proceeding of the Board under this Act shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the appointment of a member or in constitution of the Board.

Provided that the Board shall not act or take any proceeding at any time when by reason of any vacancy occurring, the member of continuing non-official members is less than one-half of the total number of such non-official members in the Board.

**16. Meetings of the Board:-** The Board shall from time to time make such arrangements with respect to the date time, place notice, management and adjournment of its meetings as may be determined by regulations made by the Board; subject to the following provisions viz:-

- (a) ordinary meetings shall be held once at least in every three months;
- (b) the Chairman may, whenever he thinks fit, call special meetings;
- (c) the proceedings of the meetings of the Board shall be forwarded to the State Governments in the department concerned.

**17. Dissolution of the Board:-** (1) The State Government may, at any time, with the previous approval of the \*State Legislative Assembly, by notification in the \* 'Official Gazette' make a declaration that with the effect from such date as may be specified in the notification, the Board shall be dissolved.

(2) On the Board ceasing to exist by dissolution by the State Government under sub-section (1):-

- (a) the Executive Committee and all other committees of the Board shall cease to function;
- (b) all the members of the Board and of the Executive Committee and other committees of the Board shall vacate office as such members;
- (c) all properties and funds, which immediately before the date of dissolution of the Board were vested in or were in possession of the Board for purposes of this Act, shall vest in the State Government.
- (d) all legal rights, obligations and liabilities (including the liabilities under any contract) of the Board shall become the rights, obligations and liabilities of the State Government; and
- (e) all legal acts and proceedings of the Board shall, unless set aside, modified or in any way amended by the State Government continue to have effect as if the Board were not dissolved."

\* Substituted by Govt. notification No. F4 (39)LJ/A/60 dt. 23.11.60.

### Chapter-III

## Function and powers of the Board

**18. Functions of Board:-** The Board shall perform the following functions- (1) to start encourage, assist and run khadi and village Industries;

(2) to help the people by providing them with work in their homes and to give them monetary accommodation;

(3) to organise co-operative societies for khadi and village industries;

(4) to conduct trainings centres and to train people at these centres outside the State in khadi and village industries.

(5) to arrange for the supply of raw materials, tools, implements for khadi and village industries and for sale of the finished products.

(6) to arrange for publicity and popularizing of khadi and goods manufactured in village industries by openings stores, shops, exhibitions and the like.

(7) to endeavour to educate public opinion and to cultivate in the public a liking and bias for khadi and vi llage industries and for the utilization of products of such industries,

(8) to seek and obtain advice and guidance in the subjects mentioned above by inviting experts;

(9) to undertake and encourage research in khadi and village industries;

(10) to carryon such activities as are incidental and conducive to the objects of this Act; and.

(11) such other functions as may be prescribed.

### CHAPTER-IV

## Office, officers and servants of the Board

**19. Office:-** The Board shall, on the date of coming into force of this Act have an office at the headquarters of the State Government to which all communications notices may be addressed.

**20. Officers and servants:-** The Board may appoint such officers and servants as it considers necessary for the efficient performance of its functions.

**21. Pay and conditions of Service of the Secretary and other officers and servants :-** (1) The pay and other conditions of service of the Secretary to the Board and. \*Financial Adviser there to shall be such as may be fixed by the State Government.

\* Substituted vide Govt. notification No. F.4(39) LJ/A/60 dt. 23.11.60.

(2) The pay and other conditions of service of other officers and servants of the Board shall be such as may be determined by the Board regulations:-

**22. Functions and duties of officers and Servants:-** The functions and duties of the officers' and servants of the Board shall be such as the Board may determine by regulations.

@ Substituted vide Govt. notification No. LA (39)/LJA/60 Dt. 23.11.60

## CHAPTER-V

### Property, finance, contracts, Audit and returns

**23. Transfer of property by Government to Board:-** The State Government may transfer to the Board any building, land or any other property, movable or immovable, for use and management by the Board on such conditions and limitations as the State Government may deem fit, for the purposes of this Act.

**24. Expenditure and Contracts made before establishment of Board:-** All debts and expenditure incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by with or for the State Government in connection with or for the purposes of this act before and upto the date of the establishment of the Board shall be deemed to have been incurred entered into or engaged to be done by, with or for the Board, and all suits, and other legal proceeding instituted by or against the State Government in respect thereof shall be instituted or continued by or against the Board, as the case may be.

**25. Contracts by the Board:-** (1) All contracts to which the Board is party shall be signed by the Secretary on its behalf.

**26. Fund of the Board:-** (1) The Board shall have its own fund and the all receipts of the Board shall be credited there to and all payments by the Board shall be made there from.

\* (2) The Board may:-

(a) accepts grants, subventions, donations, and gifts from the State Government or the Commission or a Local authority or any Private body whether incorporated or not, or any individual.

(b) receive loans from the State Government or the commission, X or a commercial bank for all or any of the purpose of this Act,

(3) All moneys belonging to the fund of the Board shall be deposited in such manner as may be prescribed.

(4) Accounts of the Board in banks shall be operated upon by such officers of the Board jointly or individually as may be authorised by the Board.

**27. Application of fund and property:-** All property fund and other assets with the Board 'Shall be held and applied by it subject to the provisions, and for the purposes of this Act.

**+27. A. Powers to advance Loans and sanction grants and Subsidies:-** The Board may for the purpose of effectively carrying out its functions under the Act, advance loans and disburse grants and subsidies to such persons or class of persons engaged in the promotion and development of khadi and village industries and on such terms and conditions, out of the funds received by it from the State Government or the commission, as may be prescribed or specified by the State Government or the commission, as the case may be.

**28. Annual programme and establishment Schedule:-** (1) In each year, on such date as may be prescribed, the Board shall prepare and forward:- '

(a) a programme of the work for the next year, and

(b) a Schedule of the staff of officers and servants already employed and to be employed during the next year, to the State Government in such front as may be prescribed.

**(2) The programme shall contain:-** (a) particulars of the Schemes which the Board proposes to execute whether in part or whole. during the next year;

(b) particulars of any work or undertaking which the Board proposes to organise during the next year for the purposes of carrying out its functions under this Act; and

(c) Such other particulars as may be prescribed.

(3) The State Government may approve and sanction the Programme and the schedule of the staff of officers and servants forwarded to it with such modifications if any as it deems fit, and the modifications so made shall be binding on the Board.

**29. Budgets:-** The Board shall, on such date as may be prescribed, prepare and submit to the State Government in the prescribed form the budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure on capital and revenue accounts according to the programme and schedule of the staff sanctioned by the State Government.

**30. Sanction of Budget:-** (1) The State Government may section the budget submitted to it with such modifications, if any, as it deems proper.

---

\* Inserted by Govt. notification No. F.7 (36) L/64 dt. 13-11-64

\* Substituted by Govt. notification No. F. 7 (36) L/64 dt.13-11-64

+ Inserted by Govt. notification No. F. 7 (1) L/68 dt.

X Inserted vide Govt. notification No. F.4 (28) Vidhi/74 dt.12-12-74

(2) The Board shall be competent to re-appropriate such amounts as may be necessary from one scheme to another or within sub-heads and minor heads subject to the condition that the cost of any scheme shall not exceed the amount originally sanctioned by the State Government by more than 33 1/3 percent, without the approval of the State Government.

**31. Supplementary programme and budget:-** The Board may submit a supplementary programme and (a) supplementary budget for the sanction of the State Government in the prescribed form and the provisions of sub-section (2) of section 28 and sections 29 and 30 shall apply to such supplementary programme and supplementary budgets respectively.

**32. Annual Reports:-** The Board shall prepare and forward to the State Government in such manner as may be prescribed an annual report within three months after the end of the financial year, giving a complete account of its activities during the previous financial year.

**33. Further reports, Statistics and returns:-** The Board shall before such date and at such intervals and in such manner as the State Government may from time to time direct, submit to the State Government reports on such matters and statistics and returns as the State Government may require.

**34. Accounts and Audits:-** (1) The Accounts of Board shall be maintained and annual statement of account shall be prepared in such manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Board shall be audited by a chartered accountant or by such persons as the State Government may direct.

(3) As soon as the accounts of the Board are audited the Board shall send a copy thereof together with a copy of the report of the audit thereof to the State Government.

\* (3-A) The State Government shall, as soon as may be, after the receipt of the said statement and the report cause them to be laid on the Table of the House of the State Legislature, and the said statement and the Report shall be open to discussion thereon, but shall not be subject to vote.

(4) The audited accounts of the Board shall be submitted to the State Government in such manner as may be prescribed.

(5) The Board shall comply with such directions as the State Government may, after the report of the audit, think fit to issue.

**34. A. Recovery of sums due to Board:-** All sums of money due to the Board on any account whatsoever shall, without prejudice to any other remedy provided by law be recoverable as arrears of land revenue.

**B. Power to write off irrecoverable losses:-** The Board may write off such irrecoverable losses upto five hundred rupees in each case, subject to annual limit of five thousand rupees, and in such circumstance and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, case for such losses exceeding the afore said amounts shall be referred to the State Government for orders.

---

\* Inserted by Govt. Notification No. F. 7 (36) L/64 dt. 13.11.64

## CHAPTER VI

### Miscellaneous

**35. Directions by State Government:-** (1) In the discharge of its functions the Board shall be guided by such instructions on questions of policy as may be given to it by the State Government.

(2) If any dispute arises between the State Government and the Board as to whether a question is or is not a question of policy, the decision of the State Government shall be final.

**36. Members Officers and servants to be public Servants:-** The members, officers and servants of the Board whether appointed by the State Government or by the Board, shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this act, to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian penal code, 1860 (XLV of 1860)

**37. Rules :-** The State Government may, by notification in \* the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act, and, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for any matter which is to bear may be prescribed.

**38. Power to make regulations:-** The Board may, with the previous sanction of the State Government, make regulations consistent with this Act and the rules made there under:-

- (a) regulating its own procedure and the procedure of its committees, including the Executive committee.
- (b) defining the powers of the Secretary and other officers of the Board, and.
- (c) providing for any matter on which regulation are to be or may be made under this Act.

**39. Repeal:-** (1) The Rajasthan khadi and village Industries Board ordinance 1955 (Rajasthan ordinance 3 of 1955) is hereby repealed.

(2) Not-with-standing such repeal any thing done or any action taken under any provision of the said ordinance and in force immediately before the commencement of this Act shall, in so far as the same could have been done or taken under this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act as if this Act were in force on the day on which thing was done or action was taken, until it is modified or superseded by a competent under this act.

**PRABHU DAYAL LOIWAL**

**Secretary to the Government**

# Law (Legislative Drafting) Department

(Group-II)

## Notification

Jaipur, August 5, 2008

**No. F.2(31) Vidhi/2/2008:-** The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on 3rd day of August, 2008 and hereby published for general information:-

### **The Rajasthan Khadi and Village**

### **Industries Board (Amendment) Act, 2008**

(Act. No. 23 of 2008)

[Received the assent of the Governor on the 3rd day of  
August, 2008]

An

Act

*further to amend the Rajasthan Khadi and Village Industries Board Act, 1955.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement:-** (1) This Act may be called the Rajasthan Khadi and Village Industries Board (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendemnt of section 9, Rajasthan Act No. 5 of 1955:-** After the existing sub-section (2) of section 9 of the Rajasthan Khadi and Village Industries Board Act, 1955 (Act No. 5 of 1955), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, where the Board is to in existence or is prohibited under section 15 from acting or taking proceedings due to the vacancies, the State Government may, by order published in the Official Gazette, authorize the Secretary/Chairman to exercise all or any of the powers, and perform all or any of the functions, of the Board."

S.S. Kohari

Principal Secretary to the Government.